प्रेस नोट　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　दिनांक 19.01.2025

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान गोकश से हुई मुठभेड़ में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया जिसके पास से 01 तमंचा नाजायज 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 02 खोखा कारतूस 315 बोर व 03 रस्सी, एक कुल्हाडी, एक दाव, एक ब्रेड का पैकेट व एक चोरी की मोटर साइकिल बरामद ।

● दिनाँक-18/01/25 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस को चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति लालबाग मण्डी के आस-पास मोटर साइकिल से घूम रहा है जिसके पास अवैध अस्लाह और गौकशी के उपकरण भी हैं यदि जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है प्राप्त सूचना पर थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा लाल बाग क्षेत्र मे सघन चेकिंग शुरू कर दी कि तभी लालबाग की ओर से एक मोटरसाइकिल पर आ रहे एक संदिग्ध व्यक्ति को टोर्च की रोशनी दिखा कर रोकने का प्रयास किया तो पुलिस वालो को अचानक सामने देख सकपका कर मोटर साइकिल मोडकर भागने लगा। इसी हडबडी में मोटर साइकिल फिसलकर गिर गयी और उस व्यक्ति ने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से एक राउन्ड सीधा फायर किया जिससे पुलिस वाले ट्रेनिंग में सिखलाये गये तरीके से बाल बाल बचे तथा थानाध्यक्ष द्वारा ललकार कर बदमाश को आत्मसमर्पण करने के लिए चेतावनी दी परन्तु चेतावनी का इस बदमाश पर कोई असर नहीं पड़ा और पुनः जान से मारने की नीयत से एक राउन्ड सीधा फायर किया, जिससे बचते बचाते हुए आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा फायर किया गया जिसमें बदमाश घायल हो गया तथा मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।

घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया । गिरफ्तार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है तथा अन्य विस्तृत पूछताछ की जा रही है ।

अभियुक्त का नाम पता

1. शाहरूख पुत्र निजामुद्दीन निवासी मदीना गार्डन थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष (मुठभेड़ में घायल)

बरामदगी का विवरण

1. गोकशी के उपकरण(एक दांव, एक कुल्हाडी,03 रस्सी,एक ब्रेड का पैकेट)
2. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिंदा व 02 खोखा कारतूस
3. एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर (चोरी की)

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 50,000/- रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.01.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी रहमान पुत्र इनाम निवासी शाहपुर गाड्डा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा तहरीर दी गई कि वादी के भाई को अभियुक्तगण 1.धेरू वर्मन पुत्र सुस्तु वर्मन निवासी ग्राम पुआल तोल थाना हेमताबाद दक्षिणी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल, उम्र करीब 35 वर्ष 2. उत्तम सरकार पुत्र बानोशर निवासी ग्राम हारजुगुल हेमन्ताबाद दक्षिणी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल उम्र करीब 32 वर्ष 3. पुरीमल वर्मन पुत्र शेरा वर्मन निवासी ग्राम भानुल थाना हेमन्ताबाद दक्षिणी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल, उम्र करीब 42 वर्ष 4. डालिम वर्मन पुत्र पुरीमल वर्मन निवासी ग्राम भानुल थाना हेमन्ताबाद दक्षिणी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल, उम्र करीब 26 वर्ष 5. तोपन राय पुत्र मोन्टू राय वर्मन निवासी ग्राम भानुल थाना हेमन्ताबाद दक्षिणी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल, उम्र करीब 24 वर्ष 6. तपू वर्मन पुत्र पुरीमल वर्मन निवासी ग्राम भानुल थाना हेमन्ताबाद दक्षिणी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल, उम्र करीब 28 वर्ष 7.आकाश गपसुआ उर्फ आकाश देब शर्मा पुत्र अनिरूद्ध निवासी उत्तरी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल, उम्र करीब 35 वर्ष 8. राणा वर्मन पुत्र जोधे वर्मन निवासी शादीपर थाना कालिया दक्षिणी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल, उम्र करीब 27 वर्ष 9. तपश ठेकेदार पुत्र व पता अज्ञात 10. जयन्त फोरमेन पुत्र व पता अज्ञात व कुछ अज्ञात लोग नाम व पता अज्ञात द्वारा साजिश कर एक राय होकर लाठी डण्डो, लोहे की रॉड व पाइप लेकर जान से मारने की नीयत से हमला व मारपीट करना जिसमें वादी के भाई के गम्भीर चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 147 /148/ 302 /307 /352 /120 बी भादवि के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 19.01.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त 1.धेरू वर्मन 2. उत्तम सरकार 3. पुरीमल वर्मन 4. डालिम वर्मन 5. तोपन राय 6. तपू वर्मन 7. राणा वर्मन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा उपरोक्त अभियोग में तपश ठेकेदार व जयन्त फोरमेन की नामजदगी गलत पायी गयी थी।

आज दिनांक 19.01.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर हत्या के अभियोग में वांछित 50,000/- रूपये का इनामी अभियुक्त आकाश पुत्र अनिरूद्ध शर्मा निवासी उत्तरी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल, उम्र करीब 35 वर्ष को पंचलोक गेट से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि दिनांक 17.01.2024 को मैं अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर से वापस पंचलोक प्लांट पर लौट रहे थे जहाँ हम लोग काम करते थे। उसी दौरान ट्रैक्टर में बैठने को लेकर वादी के भाई नदीम का तोपनराय व तपु वर्मन के बीच में वाद विवाद हो गया था। इसी रंजिश को लेकर दिनांक 17.01.2024 समय करीब 8:15 बजे रात को अभियुक्त तोपन राय व तपु वर्मन अपने साथियों धीरू वर्मन , राणा बर्मन, उत्तम सरकार, पुरीमल वर्मन, डालिम वर्मन और मैंने मिलकर वादी के भाई मृतक नदीम पर एक राय होकर लाठी डण्डो, लोहे की रॉड व पाइप से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया जिसमें वादी पक्ष के कई लोगों को चोटे आयी थी तथा वादी के भाई मृतक नदीम को गंभीर चोट आने के कारण इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

अभियुक्त आकाश पुत्र अनिरूद्ध शर्मा निवासी उत्तरी दिनाजपुर पश्चिम बंगाल, उम्र करीब 35 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा गौकशी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.03.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर गौकशी के संबंध में धारा 3/5/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 28.03.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्त 1.दीन मोहम्मद उर्फ दिल्ला पुत्र निजामुद्दीन निवासी मदीना गार्डन थाना लोनी गाजियाबाद (पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त घायल अवस्था में गिरफ्तार) 2.फुरकान पुत्र निजामुद्दीन मदीना गार्डन थाना लोनी गाजियाबाद तथा दिनांक 31.03.2024 को अभियुक्त राशिद अली पुत्र असगर निवासी दिलाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। दिनांक 18.01.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त शाहरूख पुत्र निजामुद्दीन निवासी मदीना गार्डन थाना लोनी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष को पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया।

आज दिनांक 19.01.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फैय्याज पुत्र अजीज निवासी मौहल्ला कादरपुरी पुरामहादेव थाना बालैनी जनपद बागपत, उम्र करीब 45 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर गौकशी की घटना कारित की थी जिसमें मेरे साथियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मैं अब तक पुलिस के डर की वजह छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फैय्याज पुत्र अजीज निवासी मौहल्ला कादरपुरी पुरामहादेव थाना बालैनी जनपद बागपत, उम्र करीब 45 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त घटना के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम(कार्यवाहक) व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान स्पा सेन्टर माउण्टेन स्पा एण्ड थेरेपी सेन्टर प्रथम तल व गोल्डन थेरेपी सेन्टर द्वितीय तल श्रीराम प्लाजा वैशाली सै0 4 में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में 09 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू

किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 06 अभियुक्त (संचालक/मैंनेजर) सहित व 1 अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर) गिरफ्तार, 05 रजिस्टर, 01 डायरी, 01 क्यूआर कोड स्केनर, 21 विजिटिंग कार्ड माउण्टेन स्पा एण्ड थेरेपी सेन्टर व आपत्तिजनक सामग्री बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- आज दिनांक 19.01.2025 को सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम(कार्यवाहक) व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा रात्रि में सर्च एवं रेस्क्यू अभियान के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि श्रीराम प्लाजा, प्रथम तल व द्वितीय तल मैन मार्केट, सेक्टर 04 वैशाली थाना क्षेत्र कौशाम्बी के अन्दर स्पा सेंटर सै0 4 वैशाली, गाजियाबाद में अनैतिक देह व्यापार का कारोबार किया जा रहा है। जिसमें भोली-भाली गरीब महिलाओं को बहला फुसलाकर देह व्यापार कराया जा रहा है। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम(कार्यवाहक) व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा स्पा सेन्टर माउण्टेन स्पा एण्ड थेरेपी सेन्टर प्रथम तल व गोल्डन थेरेपी सेन्टर द्वितीय तल श्रीराम प्लाजा वैशाली सै0 4 में चल रहे अनैतिक देह व्यापार में 09 पीड़ित महिलाओं को रेस्क्यू किया गया तथा अनैतिक देह व्यापार में सम्मलित 06 अभियुक्त (संचालक/मैंनेजर) 1. कुलदीप पुत्र तेजपाल सिंह (संचालिका/मैंनेजर) निवासी म0न0 628 केला गोदाम गली न0 2 ज्वाला नगर थाना विवेक विहार दिल्ली उम्र 27 वर्ष 2. विक्की सोवती पुत्र सुभाष चन्द्र सोवती(संचालिका/मैंनेजर) निवासी 01/6868 ईस्ट रोहतास नगर शाहरदरा दिल्ली-32 उम्र 32 वर्ष व 3. श्याम पुत्र नन्दू (ग्राहक) निवासी प्लाट नं0 05 मॉडल वाइन शॉप सेक्टर 3एफ वैशाली मूल पता ग्राम मधवापुर थाना मिश्रौलिया जिला सिद्धार्थनगर उम्र 28 वर्ष 4. गगनदीप सिंह पुत्र बलवीर सिंह (ग्राहक) निवासी 1/2223 रामनगर शाहदरा थाना शाहदरा दिल्ली उम्र 43 वर्ष 5. रवि कुमार पुत्र अनिल कुमार (ग्राहक) निवासी 77/34 जनता कालोनी सर्कुलर रोड थाना फर्श बाजार शाहदरा दिल्ली उम्र 26 वर्ष 6. पंकज राजपूत पुत्र बब्बू सिंह (ग्राहक) निवासी 30/30 विश्वास नगर गली नं0 10 भीकम सिंह कॉलोनी कृष्णा नगर थाना कडकडडूमा दिल्ली उम्र 24 वर्ष व 01 अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर) को मौके से 05 रजिस्टर, 01 डायरी, 01 क्यूआर कोड स्केनर, 21 विजिटिंग कार्ड माउण्टेन स्पा एण्ड थेरेपी सेन्टर व आपत्तिजनक सामग्री सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त व अभियुक्ता (संचालिक/मैंनेजर) उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 3/4/5/6 अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्तगण व महिला अभियुक्ता उपरोक्त व पीड़ित महिलाओं से पुछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि महिला संचालिक द्वारा अनैतिक कमाई करने के लालच से रैस्क्यू महिलाओं से अनैतिक देह व्यापार कराकर ग्राहकों से पैसे लिये जाते है, संचालिका द्वारा महिलाओं को काम दिलाने व पैसों का लालच देकर बहला फुसलाकर प्रतिदिन अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा था। इस कार्य को करने में ग्राहकों से भारी धनराशि लेकर कुछ रुपये महिलाओं को भरण पोषण हेतु दिया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्तों/अभियुक्ता का नाम व पता:-

1. कुलदीप पुत्र तेजपाल सिंह(संचालक/मैंनेजर) निवासी म0न0 628 केला गोदाम गली न0 2 ज्वाला नगर थाना विवेक विहार दिल्ली उम्र 27 वर्ष।
2. विक्की सोवती पुत्र सुभाष चन्द्र सोवती(संचालक/मैंनेजर) निवासी 01/6868 ईस्ट रोहतास नगर शाहरदरा दिल्ली-32 उम्र 32 वर्ष।
3. श्याम पुत्र नन्दू(ग्राहक) निवासी प्लाट नं0 05 मॉडल वाइन शॉप सेक्टर 3एफ वैशाली मूल पता ग्राम मधवापुर थाना मिश्रौलिया जिला सिद्धार्थनगर उम्र 28 वर्ष।
4. गगनदीप सिंह पुत्र बलवीर सिंह(ग्राहक) निवासी 1/2223 रामनगर शाहदरा थाना शाहदरा दिल्ली उम्र 43 वर्ष।
5. रवि कुमार पुत्र अनिल कुमार(ग्राहक) निवासी 77/34 जनता कालोनी सर्कुलर रोड थाना फर्श बाजार शाहदरा दिल्ली उम्र 26 वर्ष।
6. पंकज राजपूत पुत्र बब्बू सिंह(ग्राहक) निवासी 30/30 विश्वास नगर गली नं0 10 भीकम सिंह कालोनी कृष्णा नगर थाना कडकडडूमा दिल्ली उम्र 24 वर्ष।
7. 01 अभियुक्ता (संचालिका/मैंनेजर)।

बरामदगी का विवरण:-

05 रजिस्टर, 01 डायरी, 01 क्यूआर कोड स्केनर, 21 विजिटिंग कार्ड माउण्टेन स्पा एण्ड थेरेपी सेन्टर व आपत्तिजनक सामग्री।

गिरफ्तार अभियुक्तों/अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त व अभियुक्ता उपरोक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

सहायक पुलिस आयुक्त, इंदिरापुरम(कार्यवाहक) व थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।